

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 39/2023

वादिया :-

1. श्रीमति कमला देवी पुत्री राणाराम पत्नी पारसराम जाति जाट(थिरोदा) निवासी चिरढाणी तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. गंगाराम पुत्र राणाराम
2. गोस्धनराम पुत्र राणाराम
3. सोहनलाल पुत्र राणाराम जातियान जाट(सारण) निवासीगण भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. एक्सीस बैंक शाखा बिलाडा जिला जोधपुर
5. एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा मेडता जिला नागौर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :- वादिया की ओर से श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट प्रतिवादी संख्या- 1 व 2 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोरणा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या - 3 से 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही। प्रतिवादी संख्या - 6 सरकारी पैरोकार।

निर्णय

दिनांक :- 31/01/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2031 रकबा 0.8090 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/4 हिस्सा वादी का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 2031/1 रकबा 5.6549 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 4709 रकबा 0.1294 हैक्टर किस्म नहरी अक्वल, खसरा नम्बर 4710 रकबा 0.3236 हैक्टर किस्म नहरी अक्वल, खसरा नम्बर 4712 रकबा 0.1375 हैक्टर किस्म नहरी अक्वल कुल खसरा 4 कुल रकबा 6.2454 हैक्टर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/4 हिस्सा वादी का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है। इस कारण वादिया ने प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाडा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादीगण इसके लिए तैयार नहीं हुये तो वादिया अपने 1/4 हिस्से की भूमि का बंटवाडा कर अलग से वादिया की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड रहा है। वाद कारण विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से तथा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 09.04.2023 को वादी के कब्जे व काश्त में दखल करने पर तथा तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाडा करने के लिए तैयार नहीं होने पर बमुकाम ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाडा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

प्रार्थना वादी यह कि वादी दावा वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम भावी(जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर



सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

2031/1 रकबा 5.6549 हैक्टर, खसरा नम्बर 4709 रकबा 0.1294 हैक्टर, खसरा नम्बर 4710 रकबा 0.3236 हैक्टर, खसरा नम्बर 4712 रकबा 0.1375 हैक्टर कुल खसरा नम्बर 4 कुल रकबा 6.2454 हैक्टर का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर वादी का 1/4 हिस्सा की भूमि अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे। प्रतिवादी सं. 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादी के बंट एंव हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करें तथा न अन्य किसी से करावें।

वादिया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। प्रतिवादी सं. 3 से 5 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं. 6 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर श्री राजेन्द्र प्रसार बोराणा अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद सं. 1 में वर्णित खसरा नम्बर 2031 रकबा 0.8090 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम जरूर आयी हुयी है। जो अविभाजित है। पद सं. 2 का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम भावी(जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2031/1 रकबा 5.6549 हैक्टर, खसरा नम्बर 4709 रकबा 0.1294 हैक्टर, खसरा नम्बर 4710 रकबा 0.3236 हैक्टर, खसरा नम्बर 4712 रकबा 0.1375 हैक्टर जरूर आयी हुयी है। जो अविभाजित है। पद सं. 3 वादिया स्वयं साबित करें। पद सं. 4 दावा गलत होने से अस्वीकार है। वादी का विवादित भूमि का कब्जा काशत नहीं हे। इस कारण वादी का स्थायी निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नहीं है। पद सं. 5 से 8 दावा कानूनी है। पद सं. 9 प्रार्थना वादी है जो अस्वीकार है वादी किसी प्रकार की सहायता पाने के अधिकारी नहीं है। अतः दावा वादी मय खर्चा खारीज फरमाया जावें। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2031 रकबा 0.8090 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/4 हिस्सा वादी का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 2031/1 रकबा 5.6549 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 4709 रकबा 0.1294 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल, खसरा नम्बर 4710 रकबा 0.3236 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल, खसरा नम्बर 4712 रकबा 0.1375 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल कुल खसरा 4 कुल रकबा 6.2454 हैक्टर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/4 हिस्सा वादी का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादिया तथा प्रतिवादी सं. 2 से 3 के हक व हिस्से की भूमि में काशत करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है। इस कारण प्रतिवादी सं. 1 ने वादिया को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाडा करने के लिए कहा, लेकिन वादिया इसके लिए तैयार नहीं हुये तो प्रतिवादी सं. 1 अपने 1/4 हिस्से की भूमि का बंटवाडा कर अलग से वादिया की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड रहा है। अतः काउण्टर वाद पेश कर निवेदन है कि काउण्टर वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भावी(जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2031 रकबा 0.8090 हैक्टर के 1/4 वां हिस्सा तथा भूमि खसरा नम्बर 2031/1 रकबा 5.6549 हैक्टर, खसरा नम्बर 4709 रकबा 0.1294 हैक्टर, खसरा नम्बर 4710 रकबा 0.3236 हैक्टर, खसरा नम्बर 4712 रकबा 0.1375 हैक्टर कुल खसरा 4 कुल रकबा 6.2454 हैक्टर के 1/4 वां हिस्सा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा की भूमि अलग से प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे। तथा वादी को



सहायक क्लर्क
एवं उप क्लर्क अधिकारी
विजाडा

जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो प्रतिवादी सं. 1 के बंट एवं हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार का दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे। खर्चा मुकदमा प्रतिवादी सं. 1 को वादी से दिलाया जावे। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद सं. 1 में वर्णित खसरा नम्बर 2031 रकबा 0.8090 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम जरूर आयी हुयी है। जो अविभाजित है। पद सं. 2 का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम भावी(जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2031/1 रकबा 5.6549 हेक्टर, खसरा नम्बर 4709 रकबा 0.1294 हैक्टर, खसरा नम्बर 4710 रकबा 0.3236 हेक्टर, खसरा नम्बर 4712 रकबा 0.1375 हैक्टर जरूर आयी हुयी है। जो अविभाजित है। पद सं. 3 वादिया स्वयं साबित करें। पद सं. 4 दावा गलत होने से अस्वीकार है। वादी का विवादित भूमि का कब्जा काश्त नहीं है। इस कारण वादी का स्थायी निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नहीं है। पद सं. 5 से 8 दावा कानूनी है। पद सं. 9 प्रार्थना वादी है जो अस्वीकार है वादी किसी प्रकार की सहायता पाने के अधिकारी नहीं है। अतः दावा वादी मय खर्चा खारीज फरमाया जावे। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2031 रकबा 0.8090 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/4 हिस्सा वादी का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 2031/1 रकबा 5.6549 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 4709 रकबा 0.1294 हैक्टर किस्म नहरी अक्वल, खसरा नम्बर 4710 रकबा 0.3236 हैक्टर किस्म नहरी अक्वल, खसरा नम्बर 4712 रकबा 0.1375 हैक्टर किस्म नहरी अक्वल कुल खसरा 4 कुल रकबा 6.2454 हैक्टर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/4 हिस्सा वादी का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वादिया तथा प्रतिवादी सं. 1 से 3 के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है। इस कारण प्रतिवादी सं. 2 ने वादिया को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाडा करने के लिए कहा, लेकिन वादिया इसके लिए तैयार नहीं हुये तो प्रतिवादी सं. 2 अपने 1/4 हिस्से की भूमि का बंटवाडा कर अलग से वादिया की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड रहा है। अतः काउण्टर वाद पेश कर निवेदन है कि काउण्टर वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भावी(जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2031 रकबा 0.8090 हैक्टर के 1/4 वां हिस्सा तथा भूमि खसरा नम्बर 2031/1 रकबा 5.6549 हैक्टर, खसरा नम्बर 4709 रकबा 0.1294 हैक्टर, खसरा नम्बर 4710 रकबा 0.3236 हेक्टर, खसरा नम्बर 4712 रकबा 0.1375 हेक्टर कुल खसरा 4 कुल रकबा 6.2454 हैक्टर के 1/4 वां हिस्सा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर प्रतिवादी सं. 2 का 1/4 हिस्सा की भूमि अलग से प्रतिवादी सं. 2 की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे। तथा वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो प्रतिवादी सं. 2 के बंट एवं हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार का दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे। खर्चा मुकदमा प्रतिवादी सं. 2 को वादी से दिलाया जावे। वादिया द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का कोई जवाब नहीं दिया गया जिसके कारण वादिया का काउण्टर क्लेम जवाब बंद किया जाता है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र गोरधनराम पुत्र राणाराम का पेश किया गया। दूसरा साक्ष्य शपथ पत्र गंगाराम पुत्र राणाराम का



सहायक कमिश्नर
एवं उप जिल्हाधिकारी
जयपुर

पेश किया गया। वादिया की ओर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें शामिल पत्रावली किया गया। वादिया की ओर साक्ष्य शपथ पत्र कमलादेवी पुत्री राणाराम पत्नी पारसराम का पेश किया गया।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खसरा नम्बर 2031 ग्राम भावी(जे.बी.) , प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खसरा नम्बर 2031/1, 4709, 4710, 4712 ग्राम भावी(जे.बी.) पेश है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादिया के वादपत्र पर मनन किया गया। वादिया के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादिया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह विदित होता है कि वादिया व प्रतिवादीगण सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि के रेकर्डेड सहखातेदार है तथा वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत् व लिखित बंटवाड़ा नही हो रखा है व न ही वादिया व प्रतिवादीगण के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वर्णितानुसार हिस्से की तरमीम राजस्व नक्शे में हो रखी है इसलिए सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित प्रतीत होने के कारण वादिया का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायसंगत है। अतः वादिया वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2031 रकबा 0.8090 हेक्टर में वादिया का 1/4 वां हिस्सा तथा खसरा नम्बर 2031/1 रकबा 5.6549 हैक्टर, खसरा नम्बर 4709 रकबा 0.1294, खसरा नम्बर 4710 रकबा 0.3236 हैक्टर, खसरा नम्बर 4712 रकबा 0.1375 हैक्टर में वादिया का 1/4 वा हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 से 3 का प्रत्येक का 1/4 वां हिस्सा का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाडा राजस्थान टीनेंसी एक्ट के नियमों के प्रावधानों के तहत विभाजन प्रस्ताव बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तलब कर रास्ता आदि की कार्यवाही कर बंटवाड़ा प्रस्ताव बनाकर भिजवावे। प्राथमिक डिक्री जारी हों।



(मुदला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उप-एण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 31/07/22 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



(मुदला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उप-एण्ड अधिकारी
बिलाडा

प्राथमिक डिक्री व मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादिया :-

श्रीमति कमला देवी पुत्री राणाराम पत्नी पारसराम जाति जाट(थिरोदा)
निवासी चिरढाणी तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. गंगाराम पुत्र राणाराम
2. गोरधनराम पुत्र राणाराम
3. सोहनलाल पुत्र राणाराम जातियान जाट(सारण) निवासीगण भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. एक्सिस बैंक शाखा बिलाडा जिला जोधपुर
5. एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा मेडता जिला नागौर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955


राजस्व वाद संख्या :- 39/2023

निर्णय

दिनांक :- 31/01/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपत लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादिया वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2031 रकबा 0.8090 हेक्टर में वादिया का 1/4 वां हिस्सा तथा खसरा नम्बर 2031/1 रकबा 5.6549 हेक्टर, खसरा नम्बर 4709 रकबा 0.1294, खसरा नम्बर 4710 रकबा 0.3236 हेक्टर, खसरा नम्बर 4712 रकबा 0.1375 हेक्टर में वादिया का 1/4 वा हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 से 3 का प्रत्येक का 1/4 वां हिस्सा का राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाडा राजस्थान टीनेंसी एक्ट के नियमों के प्रावधानों के तहत विभाजन प्रस्ताव बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तलब कर रास्ता आदि की कार्यवाही कर बंटवाड़ा प्रस्ताव बनाकर भिजवावें।


(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा



तीज - मुबलिग - बाबत् -
 खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख
 वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज
 तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के
 जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलक्टर एव
 उपखण्ड अधिकारी
 एवं उपखण्ड अधिकारी
 बिलाज अधिकारी
 विभाग

